

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, बृहस्पतिवार, 23 नवम्बर, 2017 ई0 अग्रहायण 02, 1939 शक सम्बत्

उत्तराखण्ड शासन वित्त अनुभाग-8

संख्या 987/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 देहरादून, 23 नवम्बर, 2017

अधिसूचना

चूँकि राज्य सरकार का समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना समीचीन है; अतएव, अब, राज्यपाल, उत्तराखण्ड माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 06) की धारा 9 की उपधारा (3) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद् की सिफारिशों पर, उत्तराखण्ड शासन वित अनुभाग-8 की अधिसूचना संख्या 526/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 दिनांक 29 जून, 2017 में निम्निलिखित संशोधन करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं, अर्थात् —

- 1. उक्त अधिसूचना में,
- (i) सारणी में, क्रम सं॰ 9 और उससे सम्बंधित प्रविष्टियों के पश्चात निम्नलिखित को अन्तःस्थापित किया जाएगा, यथा,-

	"10	2 A A A A A A A A A A A A A A A A A A A		
i	10	भारतीय रिजर्व बैंक की ओवेरसीइंग कमेटी	भारतीय रिजर्व बैंक दारा गठित	भागनीय रिजर्स
		<u></u>	arti arti	गारताय रिजय
		के सदस्यों द्वारा सेवाओं की आपूर्ति	ओवेरसीइंग कमेटी के सदस्य	बैंक"
Į			वानरर्गार्वन नामादा का सदस्य	्बद

2. यह अधिसूचना दिनांक 13 अक्टूबर, 2017 से प्रवृत्त समझी जाएगी।

आज्ञा से.

राधा रतूड़ी, प्रमुख सचिव। 2

In pursuance of the provisions of Clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No.987/2017/9(120)/XXVII(8)/2017, dated Dehradun, November 23, 2017 for general information:

No. 987/2017/9(120)/XXVII(8)/2017 Dated Dehradun, November 23, 2017

NOTIFICATION

WHEREAS, the State Government is satisfied that it is expedient so to do in public interest;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub-section (3) of section 9 of the Uttarakhand Goods and Services Tax Act, 2017 (06 of 2017), on the recommendations of the Council, the Governor is pleased to allow to make the following amendment in the notification of the Government of Uttarakhand, Finance Section-8, No. 526/2017/9(120)/ XXVII(8)/2017 Dated 29 June, 2017, namely:-

- 1. In the said notification,-
- (i) in the Table, after serial number 9 and the entries relating thereto, the following serial number and the entries shall be inserted, namely: -

	Committee to Reserve Bank of	Committee constituted by	Reserve Bank of India.".	
	India			

2. This notification shall deemed to come into force from 13th day of October, 2017.

By Order.

RADHA RATURI, Principal Secretary.